संख्या-55/2026/880जे0/22-5-2026-300(94)/2017-ई-1925788

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 **लखनऊ: दिनांक 30 जुलाई, 2026**

विषय- **जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी राजवीर पुत्र श्री सुखवीर का एस0वी0बी0पी0 हॉस्पिटल सम्बद्ध एल0एल0आर0एम0, मेडिकल कालेज, मेरठ में कराये उपचार में व्यय धनराशि रू0-2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र)**की कार्योत्तर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-27883/सामा-1(3)/22/ जि0का0 मु0नगर/उपचार- राजवीर/26, दिनांक 21-07-2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी राजवीर पुत्र श्री सुखवीर का एस0वी0बी0पी0 हॉस्पिटल सम्बद्ध एल0एल0आर0एम0, मेडिकल कालेज, मेरठ में कराये उपचार में व्यय धनराशि रू0-2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र)** की एतदद्वारा कार्योत्तर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ई-12-251/दस-2014-01/2014, दिनांक 13-08-2014 में दिये गये निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(कमलेश कुमार)
उप सचिव।

संख्या:55/2026/880जे0(1)/22-5-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- जिला मजिस्ट्रेट, **मुजफ्फरनगर** ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, **मुजफ्फरनगर** ।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, **मुजफ्फरनगर** ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अभय कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in